संख्या-156/2025/80/22-2-2023-17(1297)/2022

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 21 फरवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद कुमार सिंह पुत्र त्रिलोकी नाथ सिंह, निवासी जनपद-बलिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-11/प्रोवेशन-6/222/गणतंत्र दि0.2023,दिनांक 02.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद कुमार सिंह पुत्र त्रिलोकी नाथ सिंह, ग्राम-राजपुर, थाना-हल्दी, जनपद-बलिया का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 03-07-2001 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा वादीनी क्लाउडिया पोकर (विदेशी महिला) को रात्रि में लस्सी में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया तथा उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-65/2002 में भा0द0वि0 की धारा-376(2)(जी) में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, स्पेशल जज (आ0 वस्तु0 अधिनियम), वाराणसी के आदेश दिनांक 30-08-2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया,जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17-10-2012 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2023 तक 20 वर्ष, 01 माह, 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष, 06 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- बन्दी द्वारा द्वारा क्लाउडिया पोकर नामक (विदेशी महिला) से बलात्कार जैसा घृणित, जघन्य व शर्मशार करने वाला अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018, दिनांक 01.08.2018 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018, दिनांक 28.07.2021 तथा संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विनोद कुमार सिंह पुत्र श्री त्रिलोकी नाथ सिंह की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद कुमार सिंह (बन्दी संख्या-45627) पुत्र त्रिलोकी नाथ सिंह, निवासी जनपद-बलिया की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-156/2025/80(1)/22-2-2023 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट,बलिया।

2- वरिष्ठ अधीक्षक,केन्द्रीय कारागार,वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री,कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग,उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव,मा0 राज्यमंत्री,कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार,गाजियाबाद को मा0 उच्चतम, न्यायालय में योजित रिट याचिका (क्रि0) सं0-380/2023 ओमकार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-06.11.2023 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।